

**TO BE PUBLISHED IN PART - IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(LABOUR DEPARTMENT)**

Date: 21/11/2023

NOTIFICATION

F.No. F.1/31/1169/LC/Estt./2023/5462-5773 In supersession of notification No. F.11 (99)/2005/Power/2508 dated 26th July, 2012 and notification No. F.11 (99)/2005/Power/3964 dated 8th January, 2013 and in exercise of the powers conferred by Section 162 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. U-11030-2-2003-UTI dated 20th February, 2004 and Ministry of Power, Government of India notification dated 17th August, 2006 read with notification dated 16th May, 2016, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to 'confer' the powers of 'Electrical Inspector' for the purposes of exercising the statutory powers and performing the functions under Section 162 of the Electricity Act, 2003 upon Deputy Electrical Inspectors and Assistant Electrical Inspectors of Labour Department, GNCT of Delhi, fulfilling the requisite qualifications and experience as laid down in the said notification dated 17th August, 2006 and notification dated 16th May, 2016 of Ministry of Power, Government of India, in the National Capital Territory of Delhi until further orders without any extra remuneration or benefit of pay.

**By order and in the name of Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi**

(S.C. YADAV)

ADDITIONAL SECRETARY (LABOUR)

F.No. F.1/31/1169/LC/Estt./2023/5462-5773

Date: 21/11/2023

Copy to:-

1. Pr. Secretary to Hon'ble LG, Delhi, Raj Niwas, Delhi
2. Addl. Secretary to Hon'ble Chief Minister, GNCTD.
3. Secretary to Hon'ble Minister (Labour), GNCTD
4. OSD to Chief Secretary, GNCTD
5. PS to Addl. Chief Secretary (Labour), GNCTD.
6. Secretary (General Administration Department), GNCTD (with two spare copies of notification) with request to publish this notification in today's Part IV of Delhi Gazette Extraordinary.
7. Secretary, Power Department, GNCTD.
8. PS to Commissioner (Labour), Labour Department, GNCTD.
9. AD (Planning), Labour Department, GNCTD.
10. All DEIs and AEIs, Labour Department, GNCTD.
11. System Analyst with request to upload this notification on the website of Labour Department.
12. Guard File

(S.C. YADAV)

ADDITIONAL SECRETARY (LABOUR)

दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-IV में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(श्रम विभाग)

दिनांक: 21/11/23

अधिसूचना

F.No.F.1/31/1169/LC/Estt./2023/5762-5773 अधिसूचना संख्या F.11 (99)/2005/ Power/2508 दिनांक 26 जुलाई, 2012 और अधिसूचना संख्या F.11(99)/2005/पावर/3964 दिनांक 8 जनवरी, 2013 का अधिक्रमण करते हुए और विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 (भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या U-11030-2-2003-UTI दिनांक 20 फरवरी, 2004 और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 17 अगस्त, 2006, दिनांक 16 मई, 2016 की अधिसूचना के साथ पठित) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 162 के तहत कार्य करने के प्रयोजनों के लिए श्रम विभाग, जीएनसीटी, दिल्ली के उप विद्युत निरीक्षकों और सहायक विद्युत निरीक्षकों को, जो भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की उक्त अधिसूचना दिनांक 17 अगस्त, 2006 और अधिसूचना दिनांक 16 मई, 2016 में निर्धारित अपेक्षित योग्यता और अनुभव को पूरा करते हैं, को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपेक्षित शर्तों को पूरा करने के लिए अगले आदेश तक बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक या वेतन के लाभ के 'विद्युत निरीक्षक' की शक्तियां 'प्रदान' करते हैं।

आदेशानुसार एवं उपराज्यपाल के नाम पर
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

एस. सी. यादव

(एस. सी. यादव)

अपर सचिव (श्रम)

F.No. F.1/31/1169/LC/Estt./2023/5762-5773

Date: 21/11/23

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली, राज निवास, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. ओ.एस.डी. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. निजी सचिव, अपर प्रमुख सचिव (श्रम), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (2 अतिरिक्त प्रतिया सहित) अनुरोधनार्थ की अधिसूचना को आज के दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-IV में प्रकाशनार्थ हेतु।
7. सचिव, पावर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. निजी सचिव, आयुक्त (श्रम), श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. सहायक निदेशक (योजना), श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. सभी उप विद्युत निरीक्षक व सहायक विद्युत निरीक्षक, श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
11. सिस्टम एनालिस्ट, श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अनुरोधनार्थ की अधिसूचना को श्रम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
12. गार्ड फाइल।

एस. सी. यादव

(एस. सी. यादव)

अपर सचिव (श्रम)